



प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र

	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर		रोल नंबर: 1144825		
	ई-प्रवेश पत्र (प्रोविजनल अनुमति एवं पात्रता की शर्त के अधीन)		आवेदन आई.डी : 202544417025		
	परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व तक ही प्रवेश अनुमत है।		लिंग	MALE	जन्मतिथि
परीक्षा का नाम : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती -2024					
परीक्षार्थी का नाम	JAI KISHAN				
पिता/पति का नाम	MADAN LAL				
श्रेणी एवं क्षेत्रीय श्रेणी	SC				
पता	VPO-GHATLA TEHSIL-ALWAR District-ALWAR State-Rajasthan Pincode-301404				



परीक्षा कार्यक्रम और केन्द्र का विवरण

परीक्षा की तिथि व समय	परीक्षा केन्द्र का जिला	परीक्षा केन्द्र कोड नं. एवं परीक्षा केन्द्र का नाम व पता
19-Sep-2025 (शुक्रवार) प्रातः 10:00 से 12:00 WRITTEN EXAMINATION	ALWAR	(2105) - SHRI RADHEY SHYAM VIDHYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL, KATORI WALA TIBARA, TIJARA ROAD, ALWAR
WRITTEN EXAMINATION	परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग का समय: 08:00 AM	परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश द्वार बंद होने का समय : 09:00 AM

नोट :-

- परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घंटे पहले तक ही परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। अर्थात् परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार ठीक 01 घंटे पूर्व बंद हो जायेगा, इसके पश्चात किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 02 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हो जावे ताकि Frisking/ Biometrics , Face Recognition द्वारा तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके, देरी पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे

परीक्षार्थियों को निर्देश पीछे अंकित है। कृपया किसी भी कदाचार में शामिल न हों।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है।

सचिव

P.T.O

परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश :-

- 1) परीक्षार्थी ओ.एम.आर उत्तर पत्रक के अनुदेशों को भली प्रकार पढ़ लें। ओ.एम.आर उत्तर पत्रक को भरने हेतु केवल नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करें तथा उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव(Appropriate pressure) के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव (Clear impression) आ जावे।
- 2) परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु परीक्षा समाप्ति के पश्चात् समस्त पारियों के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन प्रति ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र की सीरीज/लैडइवस ध्यान रखें। अंतिम परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए समस्त पारियों के प्रश्न पत्रों के समस्त प्रयुक्त सेट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
- 3) परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जावे उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
- 4) परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर के क्रम संख्या समान होना, सभी पृष्ठों पर सारे प्रश्न मुद्रित हैं, सुनिश्चित कर लिया जावे। किसी प्रकार की भिन्नता/विसंगति की स्थिति में तुरन्त अभिजागर को रिपोर्ट की जावे। परीक्षा प्रारम्भ होने के 05 मिनट बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 5) परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को पहले ही सत्यापित कर लें तथा परीक्षा दिवस को परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने पर अपनी Shift तथा आवंटित रोल नं० के अनुसार बैठने हेतु कक्ष सुनिश्चित कर लिया जावे। गलत कक्ष अथवा गलत Shift में बैठने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- 6) परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी है:- ई-प्रवेश पत्र (QR Code के साथ), (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु) 2.5c.m.X2.5c.m. साइज का स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन मूल Front photo (जो Merge, Morphed एवं Tamper किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक मूल फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र - आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरान्त एवं निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- 7) परीक्षा केन्द्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा।
- 8) परीक्षार्थियों को जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड तथा विशेष योग्यजनों को श्रुतलेखक हेतु दिषा-निर्देश (संशोधित) विज्ञप्ति के अन्तर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अनुसार पात्र विशेष योग्यजन स्वयं का श्रुतलेखक चाहने हेतु फोटो पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, श्रुतलेखक का वचन पत्र तथा नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र परीक्षा दिवस से एक दिन पहले तथा केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर प्राप्त करने हेतु उक्तानुसार प्रमाण पत्र आदि दो दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक सुविधा देय नहीं होगी। वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत निर्देशों का भली प्रकार अवलोकन कर अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करें।
- 9) परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर होने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
- 10) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष/ हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 11) ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए।
- 12) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए हैं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित करने सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- 13) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के कदाचारों का पता लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीकों को अभिनियोजित किया है:-

1. हम कदाचारों की पहचान करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करते हैं। हम अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये उत्तरों के मध्य संदिग्ध समानता की पहचान करने के लिए प्रश्नों व उत्तरों के लॉग का विश्लेषण करते हैं। RSSB असामान्य उत्तर देने वाले व्यवहार की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा लॉग की भी समीक्षा करता है और ऐसे उम्मीदवारों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कदाचार की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
2. उन छात्रों के उत्तर पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है जिन्होंने अपने उत्तर अन्य उम्मीदवारों को दिए अथवा जिन्होंने ये उत्तर प्राप्त किए।

3. नकल की घटनाओं को उजागर करने के लिए परीक्षा के बाद भी नकल के व्यवहार को उजागर करने के लिए प्रोद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित टूल के माध्यम से संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है।
- 14) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपडेट देखते रहें। उन्हें परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए अपने पंजीकृत मेल पते पर अपना मेलबॉक्स और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी देखना चाहिए।
- 15) यदि पेपर लीक संबंधित अथवा नकल संबंधित कोई सूचना हो तो राजस्थान पुलिस एसओजी के दूरभाष क्रमांक 9530429258 पर शीघ्र सूचित करें।
- 16) किसी भी स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर 91.141.2722520 - 2722521 पर कॉल कर सकते हैं।
- 17) उपस्थिति पत्रक / ओएमआर प्रपत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिन्दी में दिये गये वाक्य को अपनी हेण्डराइटिंग में लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 18) प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न में पाँच विकल्प दिये गये हैं जिनमें से प्रथम चार विकल्पों में से उत्तर के लिए समुचित विकल्प चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर न देने के लिए विकल्प E का चयन कर भरना आवश्यक होगा। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर भर लिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर नहीं भरने पर उसे परीक्षा के लिए अयोग्य किया जायेगा। इसके संबंध में निर्देश बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में उपलब्ध है।